उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या-34/2022/44/71-3099/44/2022-03
लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2022

शुद्धि पत्र

वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु प्रशासनिक संवर्ग के 10 पद (प्रत्येक हेतु) अर्थात् कुल पद 140 विषयक शासनादेश संख्या-33/2022/2029954/71-3099/44/2022-03, दिनांक 24.02.2022 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के संलग्नक की तालिका के कालम-7 में त्रुटिवश "शासनादेश 16.09.2021 के अनुसार ग्रेड पे" का भी अंकन हो गया है, जिसे पढ़ा न जाए। उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगी।

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. महानिदशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
9. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।